अक़द मुराबहा के शरई उसूल

तीसरा फिक्ही सेमिनार (बैंगलोर) दिनांक 13-16 ज़ीक़ादा 1410 हिजरी, 8-11 जून 1990 ई॰ को आयोजित हुआ।

मुराबिहा ऐसे मामले को कहते हैं जिसमें पूंजी रखने वाला कोई व्यक्ति या संस्था कोई चीज़ नक़द ख़रीद कर ज़रूरतमंद के हाथ क़र्ज़ अदायगी की शर्त पर बेच देती है। यह अदायगी क़िस्त के रूप में भी हो सकती है और निर्धारित अवधि में एक साथ भी। यह सूदी क़र्ज़ व्यवस्था का एक इस्लामी विकल्प है, जिसमें पूंजी लगाने वाला नफ़ा कमाता है।

1- मुराबिहा का फ़िक्ही विद्वानों के निकट एक निश्चित अर्थ है।

2- इस्लामी बैंकों में मुराबिहा जिन शक्लों में प्रचलित है वही शक्लें इस सेमिनार में बहस का शीर्षक हैं।

3- प्रसिद्ध फ़िक्ही नियम है कि अकूद मामलात में उद्देश्यों का विश्वास होता है मात्र शब्दों का विश्वास नहीं होता, अतः मुराबिहा के नाम पर जो मामले प्रचलित हैं उनकी वास्तविक्ता का विश्वास है मात्र उनके नामों का विश्वास नहीं है।

4- इस्लामी बैंको में इस्तेमाल होने वाली मुराबिहा की शक्लें (मुराबिहा की) प्रख्यात शर्तों के साथ इस सूरत में जाइज होंगी जबकि

(अ) बैंक की ओर से पारित विशेष फार्म ;फननजंजपवदद्ध में बैंक के द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं का प्रकार, उनका हाल ;फनंसपजलद्ध और अन्य दूसरी विशेषताएं स्पष्ट रूप से उल्लेख की गयी हों ताकि अज्ञानता और भ्रम के कारण मामले के हर दो फ़रीक़ के बीच किसी विवाद की संभावना बाकी न रहे और इस क़ीमत खरीद या लागत पर बैंक को मिलने वाले लाभ (मूल्य), उसकी अदाएगी की अवधि और किस्तों का स्पष्टीकरण कर दिया गया हो।

(ब) यह सही नहीं होगा कि मामला करते समय यह कहा जाए कि यदि नकद खरीदा जाए तो यह क़ीमत होगी और उधार खरीदा जाए तो दूसरी कीमत। या उधार की अवधि के कम या अधिक होने पर कीमत की कमी और अधिकता का उल्लेख मामला करते समय किया जाए, बल्कि बैंक खरीदार को एच्छिक सामान का नमूना दिखाकर स्पष्टीकरण करे कि इसकी क़ीमत इतनी अवधि में इतनी किस्तों में अदा करनी होगी और बैंक को इसकी लागत पर इतना लाभ देना होगा (और यही बैंक से खरीदारी की कीमत होगी)।

☆☆☆